छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 71/2007

डॉ0 मनीष कुमार साव,
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ रिसर्च स्कॉलर एसोसियेशन, ... अपीलार्थी
एम.आर.बिल्डिंग, विद्या उपनगर,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 28 फरवरी 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री मनीष कुमार साव द्वारा दिनांक 08–11–2006 के आवेदन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी से कुछ जानकारी मांगी थी, जो आवेदन निरस्त करने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20–11–2006 को अपील की गई, किन्तु निर्धारित अवधि में उसका निराकरण नहीं होने के कारण उनके द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 21–12–2006 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की सुनवाई भी की गई और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आरक्षण के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे हैं, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी द्वारा इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया कि उपलब्ध जानकारी की सूचना दी जा सकती है, किन्तु उसके बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। साथ ही अपने उत्तर में यह भी बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी इस संबंध में यही मान्य किया था। दिनांक 15–12–2006 को प्रथम अपील इस आधार पर निरस्त की गई कि अधिनियम की धारा–2(च) में उल्लिखित जानकारी सूचना की श्रेणी में नहीं आती। इस संबंध में पूरे रिकार्ड को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक कुछ प्रश्न पूछ रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गलत कार्यवाही की जा रही है, यह मान्य किया जाकर पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने द्वारा किये गये कार्यों के बारे में भी अभिमत अथवा उत्तर दे, किन्तु उसके यहां जो जानकारी है उसको देने के लिए अवश्य उसकी बाध्यता है। इस संबंध में प्रथम अपील के लिए

जो आवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें आवेदक ने यह मांग की थी कि आरक्षण के संबंध में जो भी नियम हैं उसकी फोटोप्रति उन्हें दी जाये। इस संबंध में विज्ञापन में आरक्षण के संबंध में दी गई शर्तें अथवा सामान्य प्रशासन विभाग अथवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण के बारे में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में चाही गई नोटशीट अथवा निर्देश की प्रति उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी अवश्य अपीलार्थी को दी जाना चाहिये थी, जो नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी मिली कि इन्हीं बिन्दुओं पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा त्रुटि की गई होगी तो उस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा विचार करके उसका निराकरण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रकरण के रिकार्ड से यह भी प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई परीक्षा परिणाम के बारे में अपीलार्थी कुछ जानकारी पूर्व में प्राप्त कर ही चुका है। अतः इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पूर्व विवेचना अनुसार नियमों आदि की जो भी जानकारी उपलब्ध है वह अपीलार्थी को 15 दिन में निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 200/– रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें भुगतान की जावे।

3/ उक्त निर्देशों के तहत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त